BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 22 जनवरी 2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास व 22,000/- हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त मनोज पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बीघेपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2012 में अपने गांव निवासी एक व्यक्ति रामपाल की हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 02.01.2012 को थाना कोतवाली देहात पर मुअसं- 02/2012 धारा 302,120बी,34,506 भादवि तथा बरमादगी के सम्बन्ध में मुअसं-140/2012 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। आरोप पत्र दिनांक 30.03.2012 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें 09 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 22.01.2025 को न्यायाधीश श्री सुरेश कुमार शर्मा (मा0 न्यायालय एडीजे-02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त मनोज को आजीवन कारावास व 22,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री देवेन्द्र कुमार व श्री प्रवीण कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।

मीडिया सेल बुलन्दशहर